

दिवंगत सांसद / मा० विधायक / पूर्व सांसद / विधायक  
के निधन संबंधी सूचना  
विधान सभा / अत्यावश्यक  
चौदहवीं राजस्थान विधान सभा  
का सप्तम् सत्र

राजस्थान सरकार  
संसदीय कार्य विभाग

- प्रतिनिधि : 1. समस्त सम्भागीय आयुक्त  
2. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान

क्रमांक : प० 14(1)संसद / 2013

जयपुर, दिनांक 16/8/16

:: परिपत्र ::

विषय :—संसद एवं विधान सभा सदस्यों/भूतपूर्व संसद एवं विधान सभा सदस्यों के निधन की सूचना भिजवाने बाबत् ।

चौदहवीं राजस्थान विधान सभा का सप्तम् सत्र गुरुवार, दिनांक 01 सितम्बर, 2016 से प्रारम्भ हो रहा है । सत्र के प्रारम्भ एवं सत्र के दौरान वर्तमान एवं पूर्व विधायक के दिवंगत होने पर सदन द्वारा शोकाभिव्यक्ति व्यक्त की जाती है ।

संसद एवं विधान सभा के वर्तमान सदस्यों/भूतपूर्व संसद एवं विधान सभा सदस्यों के निधन की सूचना जिला प्रशासन द्वारा तुरन्त न भिजवाये जाने पर सदन व माननीय अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा ने गहरे चिन्ता व्यक्त करते हुए इसे गम्भीरता से लेने के निर्देश दिये हैं। इस परिपत्र के माध्यम से जिला कलेक्टरों को विशेषतः यह निर्देशित किया जाता है कि वे अपने स्तर पर यह सुनिश्चित कर लेवें कि गत साल की समाप्ति दिनांक 05.04.2016 के पश्चात् दिवंगत मा० सांसद/पूर्व सांसद/मा० विधायक/पूर्व विधायकों के निधन की सूचना, यद्यपि पूर्व में उनके स्तर से भिजवा दी गयी हो तब भी, पुनः राजस्थान विधान सभा सचिवालय को भिजवाकर पुष्टि कर लेवें कि निधन संबंधी सूचना राजस्थान विधान सभा सचिवालय में प्राप्त हो गयी है ।

अतः दिनांक 01 सितम्बर, 2016 को शुरू होने वाले सप्तम् सत्र को मद्देनजर रखते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि इस विषय को प्राथमिकता देते हुए इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करें कि जितने में दिवंगत मा० सांसद/पूर्व सांसद/मा० विधायक/पूर्व विधायक के निधन संबंधी सूचना निर्देश के अनुरूप तत्काल फैक्स द्वारा राजस्थान विधान सभा सचिवालय, जयपुर में पहुंच जाए ताकि सत्र के दौरान दिवंगत आत्मा को सदन द्वारा शोकाभिव्यक्ति व्यक्त की जा सके । सूचना की एक प्रति संसदीय कार्य विभाग को भी पृष्ठांकित की जावे । इस कार्य में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाए अन्यथा प्रकरण सदन के निर्देश के अनुरूप समुचित कार्यवाही हेतु मा० मुख्य सचिव महोदय के ध्यान में ला दिया जायेगा । (राजस्थान विधान सभा सचिवालय का फैक्स नं० 2744333 एवं प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं संसदीय कार्य विभाग का फैक्स नं० 2227916 है)

५६१२१८/१६  
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिनिधि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित है :

1. प्रमुख सचिव / सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. विशिष्ट सहायक, मा० राज्य मंत्री / मंत्री, विधि एवं संसदीय कार्य विभाग, जयपुर
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर
4. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर
5. प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान, जयपुर
6. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर
7. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
8. रक्षित पत्रावली ।

शासन उप सचिव